यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0), यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून दूरभाष-0135-2530030 फैक्स 0135-2531646

Dy. General Manager (Industrial Relation), Yamuna Bhawan, Yamuna Colony, Dehradun Ph-0135-2530030 Fax No.0135-2531646

CIN No.U40101UR2001SGC025866

ISO 9001,14001 Certified

कार्यालयज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 194/UJVNL/05/DirectorHR/DGM(IR)/ Empanelment of Hospitals Dated: 21/09/2020 के क्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निम्नलिखित आदेशों के द्वारामान्यता प्रदान किये गये चिकित्सालयों, को यूजेवीएन लि० द्वारा भी मान्यता प्राप्तचिकित्सालय मानते हुए, यूजेवीएन लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रितपरिजनों, तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिशद/उ०प्र० पावर कारपोरेशनलि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक, जो यूजेवीएन लिमिटेड मेंआमेलित हैं एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों, सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक कीमृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) द्वारा उक्त चिकित्सालयों मेंचिकित्सा कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निस्तारण किये जाने कीस्वीकृति निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश संख्या1501–औसं–17/पाकालि/2021–11(1)ए०एस०/09(20) दिनांक 15.06.2021 के साथसंलग्न सूची के अनुसार निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की अग्रेतर मान्यतादिनांक 01.07.2021 से 31.07.2021 तक बढ़ाई गई है, तदोपरान्त उक्त चिकित्सालयोंकी मान्यता दिनांक 31.07.2021 को समाप्तहो जाने पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के आदेश संख्या2241–औसं–17/पाकालि/2021–11(1)ए०एस०/09(20) दिनांक 16.08.2021 के द्वारासंलग्न सूची–1 एवं संलग्न सूची–2 में इंगित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानोंकी मान्यता निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी गई हैं :–

संलग्न सूची–1 में इंगित 31 चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों कीदिनांक 31.07.2021 के उपरान्त अग्रेतर मान्यता अवधि दिनांक 01.08.2021 से 30.04.2022तक विस्तारित की गई हैं। सूची में क्रम संख्या–31 पर अंकित सर्वोदय हॉस्पिटल एण्डरिसर्च सेण्टर, (A unit of Anshu Hospitals Ltd.) वाई०एम०सी०ए० रोड़, सेक्टर–8, फरीदाबाद की मान्यतादिनांक 01.08.2021 से 13.12.2021 तक विस्तारित की गई है।

संलग्नसूची–2 में इंगित 36 चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशनद्वारा मांगी गई सूचनाओं के उपलब्ध न कराये जाने के दृश्टिगत एवं कर्मचारियों कोअसुविधा न हो, को संज्ञान में लेते हुए इन चिकित्सालयों की दिनांक 31.07.2021 केउपरान्त अग्रेतर मान्यता अवधि दिनांक 01.08.2021 से दिनांक 31.10.2021 तक ही विस्तारित की गई हैं।

प्रतिबंध :–

1. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० केउपरोक्त अंकित आदेश में उल्लिखित चिकित्सालयों के अतिरिक्त एवं आगामी अवधि मेंयदि अन्य चिकित्सालयों को भी मान्यता प्रदान की जाती है, तो वे चिकित्सालय भीयूजेवीएन लि० द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की श्रेणी में रखे जायेगें।

2. यूजेवीएन लि० के समस्त कार्यालयों द्वारासंलग्न सूची के मान्यता प्रदान चिकित्सालयों में कराये जाने वाले उपचार से सम्बन्धितप्रकरण पर विचार किये जाने हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेब साईट **www.uppcl.org-Medical/E-Book** का अवलोकन कर यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्तचिकित्सालय की मान्यता जारी है अथवा नही। चिकित्सालय की मान्यता होने की स्थिति मेंही प्रकरण पर विचार किया जाये।

3. वर्तमान में यूजेवीएन लि० के लगभग समस्तकार्यालयों में नेट कनैक्शन की सुविधा उपलब्ध है, और उ०प्र० कारपोरेशन लि० कीवेब साईट **www.uppcl.org-Medical/E-Book** सेसम्बन्धित आदेश डाउनलोड किये जा सकते हैं। किसी भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणको यूजेवीएन लि० मुख्यालय को अग्रसारित करते हुए अथवा अपने स्तर से निस्तारित करतेहुए उ०प्र० कारपोरेशन लि० की वेब साईट **www.uppcl.org-Medical/E-Book** से डाउनलोडकिये गये आदेशों को अवश्य संज्ञान में लिया जाये एवं उसकी एक प्रति प्रकरण अग्रसारितकरते समय अवश्य संलग्न की जाये।

4. यूजेवीएन लि० द्वारा अपने स्तर से फोर्टिस एस्कोर्ट हार्ट इन्स्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेन्टरलिमिटेड, ओखला रोड़, न्यू दिल्ली कोकार्यालय ज्ञापन संख्या 239 दिनांक 02.11.2020 के माध्यम से सामान्य चिकित्सा हेतु अलग सेमान्यता प्रदान किये जाने के दृश्टिगत यूजेवीएन लि० एवं चिकित्सालय के मध्य गठितअनुबन्ध के अनुसार कार्मिकों को सामान्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी।

5. **उत्तरप्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित मान्यता विस्तारित विशयकआदेश के साथ संलग्न सूची–1 एवं सूची–2 में उल्लिखित समस्त चिकित्सालयोंएवं चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन द्वारा सी०जी०एच०एस०–2014की मानक दरें अनुमन्य की गई है। उक्त के दृश्टिगत यदि यूजेवीएन लि० केकार्मिकों द्वारा उक्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराया जाता है,जिसके सापेक्ष सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा अपनी वर्तमान में लागू दरों के अनुरूप बीजकनिर्गत किया जाता है, तो यूजेवीएन लि० द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों की प्रतिपूर्ति कीस्वीकृतिसी०जी०एच०एस०–2014 की दरों के अनुरूप की जायेगी।**

निदेशक (मा०सं०)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

3. निदेशक(परिचालन) / (परियोजनाएं) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

4. अधिशासी निदेशक(जानपद) / (वि० / या०) / (ओ०एण्डएम०) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इसआदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेशित करने का कश्ट करें।**

6. उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

7. उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को **निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यताशीर्शकके अन्तर्गत" अपलोड करने हेतू।**

8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड,देहरादून।

9. उप मुख्य लेखाधिकारी,सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

10. वरिश्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएनलिमिटेड, देहरादून।

11. चिकित्साधिकारी, मुख्यालय यमुनाभवन, देहरादून।

12. समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयों केप्रबन्धक

13. अध्यक्ष / महामंत्रीसमस्त यूनियन / एसोसिएशन।

(बबीता कोहली)
उपमहाप्रबन्धक(औ०सं०)